न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 157/2017

सरकार बनाम नरेन्द्र पुत्र बनवारी, जाति–मेघवंशी, निवासी– हनुतपुरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 12.04..2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल नरेन्द्र कुमार पुत्र बनवारी, जाति–मेघवंशी, निवासी– हनुतपुरा द्वारा रोही मौजा हनुतपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 112 के कुल रकबा 17.62 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.13 है0 भूमि पर पुख्ता मकानात बनाकर स्कूल संचालित कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने दिनांक 27.11.2017 को हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस किया कि उसे दिये गये नोटिस की अपील सक्षम न्यायालय में चल रही है। सत्यापित प्रति पेश करने हेतु समय चाहा गया। दिनांक 05.02.2018 को गैर सायल ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में विचाराधीन अपील के आधार पर आगामी पेशी चाही गई। आदेशिका की प्रति भी पेश की गई। लेकिन कोई स्थगन आदेश पेश नही किया गया। गैर सायल द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहे जाते रहे, लेकिन अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई साक्ष्य/सबूत आदिनांक तक पेश करने में विफल रहा। ना ही प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रकरण समरी ट्रायल प्रकृति का है, लेकिन लम्बे समय से लम्बित है। माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 39 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली, मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04..2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं....03..........पर
वर्ष 2018-19...में रूपये...39/-....कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़